कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 24/07/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 23.07.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा अपने बेटे की चाकू मारकर हत्या करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.07.2025 को चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना खानपुर के ग्राम बहेरी निवासी सहाबुद्दीन उर्फ पप्पू नट पुत्र खैरुल्ला नट उम्र करीब 54 वर्ष द्वारा नहाने के पानी को लेकर हुए विवाद में अपने ही पुत्र सलमान नट पुत्र पप्पू नट उम्र करीब 32 वर्ष को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इलाज के लिए जिला चिकित्सालय गाजीपुर पहुँचने पर चिकित्सकों द्वारा सलमान उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी रूक्शाना द्वारा थाना खानपुर में लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 213/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम सहाबुद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र खैरूल्ला निवासी ग्राम बहेरी थाना खानपुर पंजीकृत कराया गया। शव को कब्जा पुलिस मे लेकर पंचायतनामा व अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। विवेचना के क्रम में पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त सहाबुद्दीन उर्फ पप्पू उपरोक्त घर पर मौजूद मिला, जिसे मौके से आज दिनांक 23.07.2025 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटनास्थल से आलाकत्ल 01 अदद चाकू बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सहाबुद्दीन उर्फ पप्पू नट पुत्र खैरुल्ला नट उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम बहेरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

01. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

<u>बरामदगी-</u>

घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू (आला कत्ल)

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर